न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–2020 / 2026
राजापाकड़ थाना कांड सं0–293 / 2026
धारा– 64 of B.N.S.

Web Copy Not Official

23.07.2026 आवेदक मो0 तसलिम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन राजापाकड़ थाना कांड सं0–293 / 2026 मे दर्ज मुकदमे मे गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचिका सुमन देवी द्वारा टंकित आवेदन थानाध्यक्ष राजापाकड़ को इस आशय का दिया गया कि "मो0 तसलिम ने मेरे घर पर आकर मेरे सास कान्ती देवी से हाल चाल पुछा तो मेरे सास ने बताया कि मेरे पुतोह का तबियत खराब है ठीक नही हो रहा है तो मो0 तसलिम बोला कि झार फुक ओझई करता हूँ मेरे नजदिक कबरस्थान पर लेके आईये और डोरा सुई भी लेकर आईयेगा। मेरी सॉस मुझे संध्या 7 बजे ले गयी तो मो0 तसलिम ने अपने घर से दूर कबरस्थान मे इमली के पेड़ के पास ले गया और मेरे सॉस को बोला कि डोरा पकड़ कर पेड़ मे लपेट कर पकड़े रहिये और मो0 तसलिम 100 मीटर दूरी पर मुझे ले गया और वहां झार फुक के बहाने मेरे साथ गलत करने लगा और संबंध बना लिया, मैने विरोध किया लेकिन नही माना और बोला कि इसी तरह झाड़ फुक होता है उसके बाद मै अपने लोक लज्जा के कारण किसी को नही बताई और फैसला ली कि आत्म हत्या कर लु और मै खाना पीना छोड़ दिया तब घर वाले पुछे तो घटना के बारे मे बतायी। मेरे घर वाले उसके घर पुछने गये तो मो0 तसलिम घर से फरार है।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के

संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है। प्राथमिकी झुठा दर्ज कराया गया है। क्या यह संभव है कि पीड़िता की सॉस 100 मीटर की दूरी पर हो और पीड़िता अपने बचाव मे आवाज भी नही लगाई हो। आवेदक कानून को मानने वाला व्यक्ति है, वह माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश एवं शर्तों को मानने के लिए तैयार है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के उपर ही प्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि वह झाड़–फुक के नाम पर सूचिका को ले गया और उसके साथ गलत संबंध बनाया। पीड़िता ने अपने पुनः बयान मे भी आरोप का समर्थन किया है तथा धारा 180 बी.एन.एस.एस. के बयान मे भी अभियुक्त द्वारा बलात्कार किये जाने की बात कही है, मामला अभी अनुसंधानरत है तथा एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट भी अभी अप्राप्त है, अतः प्रत्यक्ष आरोप एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टगत रखते हुये प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

पत्रांक– **दिनांक–**

अग्रसारितः

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	23-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	23-07-2026
Uploading Date	25-07-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official